

***जनपद-संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 05.11.2024*

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ छेड़खानी, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशव नाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 316/2024 धारा 115(2),74,333,352,351(3),65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता विकास निषाद पुत्र सम्पत निवासी बढ़याठाठर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 05.11.2024 को बाराखाल तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 31.10.2024 को थाना मेंहदावल पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी, मारपीट व जाने से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 रघुवंश प्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 200 वाहनों से 2,35,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संधि व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 200 वाहनों से 2,35,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आपराधिक धमकी, हत्या का प्रयास के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 843/2024 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/ 351(4)/109(1) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्तों का नाम पता 01.अवनिन्द्र सिंह पुत्र विजयी सिंह निवासी रितुआखोर थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर 02. देवा यादव पुत्र राममूरत यादव निवासी ईटार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादी श्री भानू प्रताप सिंह द्वारा उक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध पिस्टल लहराते हुए जान से मारने की धमकी व हवाई फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 03.11.2024 को प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अवनिन्द्र सिंह पुत्र विजयी सिंह निवासी रितुआखोर थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर ।
2. देवा यादव पुत्र राममूरत यादव निवासी ईटार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण उ0नि0 ललितकान्त यादव, हे0का0 अली हसन सिद्धीकी, का0 सुनील कुमार पाल ।